न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल स्वामी, आर.ए.एस

अपील संख्या 119/2018

विद्या देवी पत्नी जगदीश प्रसाद जाति मेघवाल निवासी चक 1 पी.जी.एम. तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।

——अपीलार्थी

बनाम

1. रूकमा देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी चक 1 पी.जी.एम. तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व अनूपगढ। —— रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्त.अधि. 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ दिनांक 22.06.2018

उपस्थिति :—

श्री सुरेश अरोडा अभिभाषक अपीलार्थी

श्री राजेन्द्र सिंह सेखों अभिभाषक रेस्पों. सं. 1

श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांकः 10/1/19

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पों. सं. 1 ने एक प्रा.पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ के समक्ष राज.काश्त.अधि. की धारा 251ए के तहत पेश कर अपनी भूमि में आने—जाने हेतु चक 1 पी.जी.एम. के मु.नं. 48 के कि. नं. 5, 6 में रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया। प्रा.पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब करने के आदेश दिये गये। अप्रार्थी की ओर से वकील उपस्थित आए लेकिन उनकी ओर से वकालतनामा पेश नहीं किया गया एवं दिनांक 16.05.2018 को जबाब पेश करने एवं वकालतनामा पेश करने हेतु तारीख 13.06.2018 के लिए नियत की गई। तत्पश्चात दिनांक 08.06.2018 को पत्रावली लोक अदातल में पेशी में ले जाकर आगामी तारीख पेशी 22.06.2018 नियत कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर कैम्प रायसिंहनगर

दी। उक्त दिनांक को प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता स्वीकृत कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पत्रावली जबाब हेतु चल रही थी एवं बिना सूचना के ही पत्रावली कैम्प में रख ली एवं अपीलांट को बिना सुने एकतरफा तौर पर आदेश पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर प्रकरण अधी. न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि जिस दिन अपीलाधीन आदेश पारित किया गया उस दिन अपीलार्थी का पति उपस्थित था। अधी. न्यायालय ने तहसील की रिपोर्ट के आधार पर रास्ता स्वीकृत किया है वह उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अधी. न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 16.05.2018 में आगामी तारीख पेशी 13.06.2018 नियत की गई एवं पत्रावली जबाब एवं वकालतनामा पेश करने हेतु नियत की गई थी, किन्तु दिनांक 08.06.2018 को पत्रावली पेशी में ली गई तत्पश्चात दिनांक 22.06.2018 को अपीलांट को बिना सूचना दिये एवं बिना सुने आदेश पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.06.2018 निरस्त कर प्रकरण इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि दोनों पक्षों को सुनवाई समुचित अवसर देकर विधि अनुसार पुनः निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 10/1/19 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कन्हैयालाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर